

— 18 —

सत्र समाप्त होने के दो वर्ष के भीतर अग्रणी का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के तीन माह बाद तथा शेष 20 प्रतिशत फीस का भुगतान कोर्स का भुगतान किया जाएगा। कुल फीस राशि को 50 प्रतिशत फीस सत्र प्रारंभ होने पर, 30 प्रतिशत पढ़ाई पर भर्ती कराने हेतु उत्तरदायी होगी, जिसके आधार पर उन्हें नियमानुसार फीस कोर्स प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षण अग्रणी में अग्रणी को शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रमों में उसका अलग से कोई किया या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।

संस्था को वहन करना होगा। यदि संस्था अपने किसी भवन में कोर्स संचालित करती है तो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका बिजली बिल, पानी शुल्क एवं टैट फॉट/मरम्मत हेतु व्यय व्ययनित कोर्स संस्था को कोर्स हेतु बिजली मूल्यांकन परिक्षण में भवन बिजली प्रशासन द्वारा के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्यतः समय-समय में किया जाना होगा।

11. निविदाकर्ता को कलेक्टर बिजली सिंगरौली एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिंगरौली 10. इन प्रशिक्षणों की योजना एवं अनुभव का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित देना होगा।
12. इन प्रशिक्षणों की योजना एवं अनुभव का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित देना होगा।

9. कोर्सों के प्रशिक्षकों को कोर्स संस्थाओं में पढ़ाने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना पड़े व मांवाइल नॉट सहित देना होगा, जिससे उन अग्रणी से पुष्टि की जा सके।
8. निविदाकर्ता को कोर्स संस्था को अपने पिछले सत्रों में सकल हेतु अग्रणी का पूर्ण विवरण न्यायालय में कोई दावा नहीं कर सकना।

7. निविदाकर्ता द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बिजली सिंगरौली के पक्ष में धरोहर राशि रु. 50000.00 (रु. पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट देय होगा। सर्वोच्च पूर्वक सत्र समाप्त होने पर संबंधित निविदाकर्ता को उक्त बैंक ड्राफ्ट वापिस कर दिया जाएगा। बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। जिसके ऊपर निविदाकर्ता किसी भी प्रत्युत्तर करेगी।

6. कोर्स इंस्टीट्यूट अपनी संस्था संबंधी विस्तृत कायदा प्रारूप/प्रस्ताव निविदा के संलग्न 5. संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. नं. होना अनिवार्य है।
4. कोर्सों के प्रशिक्षणों की फीस एक सत्र के लिये देय होगी।
3. अग्रणी को कोर्सों की फीस एक सत्र के लिये देय होगी।

2. निविदा में हिस्सा लेने वाली संस्था को कम से कम 3 वर्ष का पंजीयन एवं 03 वर्ष से अधिक की लॉन्ग अनुभव घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
1. सत्र 2019-20 में कोर्सों की अवधि लगभग 06 माह की होगी। जिस प्रतियोगिता परीक्षाओं की जाती है :-

उक्त कोर्सों कायदा हेतु सीलबंद निविदायें निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं :-
सकल है। आवेदन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं -
जारी की जा रही है। कोर्सों संस्थायें निविदा के नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर अंतर्गत अग्रणी को वर्ष 2019-20 में प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोर्सों हेतु निविदा (वृत्तीय आमंत्रण) पात्रता एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की कोर्सों योजना के सिंगरौली में सी.एस.आर. मद अंतर्गत संचालित होने वाले बैंक/रेलवे/एस.एस.सी./शिक्षक

बैंक/रेलवे/एस.एस.सी./शिक्षक पात्रता एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की कोर्सों हेतु निविदा सूचना (वृत्तीय आमंत्रण)

2018

- जा सकता है। जिसके विरुद्ध निवेदकाला किसी न्यायालय में नहीं जा सकता।
- राशि भी राजस्व को जा सकती। अनुबंध को तीन दिवस की नोटिस देकर समाप्त किया
- अनुबंधित राशि में से प्रति सत्र दी प्रतिशत के मान से कटौती किया जाएगा तथा जमा धरोहर
- अथवा निर्धारित समय सीमा में न करने अथवा अनुबंध की अन्य शर्तों का उल्लंघन करने पर
- निवेदकाला द्वारा निवेदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने
25. निवेदा निरस्त/स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला सिंगरौली का होगा।
24. कॉम्प्लेक्स का आयोजन स्थानीय स्तर पर ही किया जाना बाध्यकारी होगा।
23. सम्पत्त अगुवियों को स्व-प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
- अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
22. संस्थाओं को अपना तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक लिफाफे में जमा करना
- सिंगरौली के पक्ष में देय ही, जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
21. उक्त कार्य हेतु निवेदा प्रपत्र, कार्य का विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें, इस कार्यालय में राशि
- रु. 500.00 (रु पांच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहसहक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला
- सिंहरी के द्वारा वित्तीय प्रस्ताव लिफाफा "ब" खोला जाएगा, प्रस्तावक की उपस्थिति वांछनीय
- जिसमें प्रस्तावक की सम्पूर्ण जानकारी एवं दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। तत्पश्चात
20. निवेदा खोलने की प्रक्रिया - सर्वप्रथम प्रस्ताव खोलने समय लिफाफा "अ" खोला जाएगा
- सकना।
- करने वाले सभी सकल निवेदाकार को न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य आदेश जारी किया जा
- जिसमें निवेदकाला द्वारा न्यूनतम दर तय कि जायेगी, जिसके पश्चात तकनीकी मापदंड पूर्ण
19. वित्तीय प्रस्ताव लिफाफा "ब" - इस लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा
- एवं पूर्व में सकल अगुवियों इत्यादि की जानकारी देना होगी।
- प्रस्ताव लिफाफा "ब" नहीं खोला जाएगा। इस लिफाफे में निवेदकाला को संस्था, प्रशिक्षक
- ड्राफ्ट नहीं पाये जान पर निवेदाकार की निवेदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं वित्तीय
- प्रस्ताव लिफाफा "अ" खोला जाएगा। तकनीकी लिफाफा में प्रतिभूति की राशि का डिमांड
18. तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा-"अ"- सर्व प्रथम प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी
- होगा।
17. निवेदा तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा "अ" एवं वित्तीय प्रस्ताव लिफाफा "ब" में प्रस्तुत करना
- निवेदा मान्य नहीं होगी। जिसके लिये निवेदकाला स्वयं जिम्मेदार होगा।
- कर जोक से अथवा स्वयं जमा कर सकते है। जोक से समय सीमा से बाहर प्राप्त होने पर
- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिंगरौली के नाम से देय होगा के साथ संलग्न
- जिला सिंगरौली में धरोहर राशि रु. 50000/- (पचास हजार रु.) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो
- 2019 (शुक्रवार) दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बेंगल
16. इच्छुक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट/संस्था अपना आवेदन निर्धारित निवेदा प्रारूप में दिनांक 11.10.
- होगी।
15. इच्छुक कॉम्प्लेक्सों को प्रशिक्षण दिया जा सकता। इस प्रशिक्षण हेतु इच्छी निवेदा में स्वीकृत फीस देय
- निवेदा से व्ययित संस्था से, दोनों पक्षों की सहमति से वर्ष 2020-21 के लिये भी
- व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु अलग से कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. कॉम्प्लेक्स अगुवियों को स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण स्थल के निकट रहने/खाने की
- भुगतान किया जाएगा।
- होने के संस्था के आधार पर उतने विद्यार्थियों की 20 प्रतिशत की राशि वृत्तीय कक्ष को

26. निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय प्रस्ताव/तकनीकी प्रस्ताव एवं प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

नोट : सभी निविदाकर्ता संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में ही जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्ताव निरस्त माना जावेगा।

निविदा सूचना जारी करने की तिथि - 05.10.2019

दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि- 11.10.2019 (दोपहर 3:00 बजे तक)

निविदा सूचना खुलने की तिथि - 11.10.2019 समय- सायं 4:00 बजे, स्थान- कलेक्ट्रेट
समाकक्ष।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली

सिंगरौली जिलांक 5-10-19

पुं क्र./3208/कोविंग/आदि.वि./2019

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, जनसंपर्क भवन, बागमंगा, भीपाल म.प्र. समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, सिंगरौली जिले के एन.आई.सी. पोर्टल पर निविदा अपलोड करने हेतु।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली

संयुक्त राज्य अमेरिका
संघीय सरकार
अर्थशास्त्र विभाग
[Signature]

सभी निविदाकर्ता संस्थाओं को निर्धारित प्राय मं डी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तों की जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला सिंगरौली से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिंगरौली के पास में हो।

मूल्य - रु. 500.00 (रु. पांच सौ मात्र)

स्थान- कलेक्ट्रेट सम्मोकण।

समय- सायं 4:00 बजे,

निविदा सूचना खत्म की तिथि - 11.10.2019

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि- 11.10.2019 (दोपहर 3:00 बजे तक)

निविदा सूचना जारी करने की तिथि - 05.10.2019

बैंक/रेलवे/एस.एस.सी/शिफ्टक मात्रा एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं में सभी हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की कोशिश हेतु निविदा प्रपत्र (पूर्वीय आमंत्रण)

कार्यालय कलेक्ट्रेट (आदिवासी विकास) जिला सिंगरौली
Email- actw.sgla@mp.gov.in Mob- 9424530623